न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 69/2025
जी.सी.एम.एस नं. : 2025/77

		अभियुक्त :–
राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	श्री प्रकाश चन्द्र जाट पुत्र श्री पृथ्वीराज जाट निवासी वार्ड नं. 1, जाट मौहल्ला गुढा, सेहाडा, भीलवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स भोलेनाथ आईसक्रीम सेन्टर, मेन रोड, छोटा डूंगरा, कुशलगढ, जिला बांसवाडा।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 20–04–2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **15–12–2025** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **11–10–2025** को बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **4.20 पी.एम.** बजे **मैसर्स भोलेनाथ आईसक्रीम सेन्टर, मेन रोड, छोटा डूंगरा, कुशलगढ, जिला बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री प्रकाश चन्द्र जाट पुत्र श्री पृथ्वीराज जाट** उपस्थित थे। **मैसर्स भोलेनाथ आईसक्रीम सेन्टर, मेन रोड, छोटा डूंगरा** का निरीक्षण करने पर परिसर में एक एक फ्रिज में स्टील की केन में खाद्य पदार्थ **लस्सी (लूज) 7 लीटर** रखा पाया। जिसको एफ.एस.एस.ए के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने एवं मिसब्राण्ड का शक हाने पर खाद्य पदार्थ **लस्सी (लूज)** जाँच हेतु विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ **लस्सी (लूज) 4 पैकेट प्रति 500 मि.ली. 2 लीटर वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय कर** इनकी कीमत 200/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **लस्सी (लूज) 2 लीटर के चार नमूना भाग** तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा का कोड **W-2232** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.27 16:53:22 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के **पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/409 दिनांक 29–10–2025** एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट **क्रमांक 2189 दिनांक 24–10–2025** अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **लस्सी (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2232** Misleading (as per 4(3) FSS (Labelling and Display) पाया गया। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **लस्सी (लूज)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 16–12–2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 20.04.2026 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध नरमी का रुख अपनाते हुए अधिकतम जुर्माने को कम किया जाकर कम से कम जुर्माना लगाये जाने निवेदन किया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के **पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/409 दिनांक 29–10–2025** एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट **क्रमांक 2189 दिनांक 24–10–2025** अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **लस्सी (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2232** Misleading (as per 4(3) FSS (Labelling and Display) Regulation 2020 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.27 16:53:22 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः Misleading (as per 4(3) FSS (Labelling and Display) Regulation 2020 तहत पाया गया खाद्य पदार्थ **लस्सी (लूज)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री प्रकाश चन्द्र जाट पुत्र श्री पृथ्वीराज जाट निवासी वार्ड नं. 1, जाट मौहल्ला गुढा, सेहाडा, भीलवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स भोलेनाथ आईसक्रीम सेन्टर, मेन रोड, छोटा डूंगरा, कुशलगढ, जिला बांसवाडा को 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 20–04–2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.27 16:53:22 IST
Reason: SelfAttested